भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 177
(जिसका उत्तर सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक) को दिया जाना है)

बकाया राशि का भुगतान न करने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई

177. डॉ थोल तिरूमावलवनः .

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास एमएसएमई-1 फॉर्म जमा करने वाली कंपनियों द्वारा मध्यम एवं लघु उद्यमों को देय राशि के बारे में कोई जानकारी है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) 45 दिनों से अधिक समय तक बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वाली कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (घ): सरकार ने एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए अनेक पहलें की हैं

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 405 के साथ पठित अधिसूचना संख्या का.आ. 368 (अ) दिनांक 22.01.2019 के संदर्भ में, सूक्ष्म या लघु उद्यम आपूर्तिकर्ताओं को सभी बकाया देय राशियों के विवरण का प्रकटन करने के लिए निर्दिष्ट कंपनियों के लिए एमएसएमई 1 प्ररूप निर्धारित किया गया है। प्रत्येक निर्दिष्ट कंपनी को एमएसएमई -1 प्ररूप के अनुसार अप्रैल से सितंबर तक की अवधि के लिए 31 अक्टूबर तक और अक्टूबर से मार्च तक की अवधि के लिए 30 अप्रैल तक रिटर्न फ़ाइल करना अपेक्षित है। एमएसएमई-1 प्ररूप को दिनांक दिनांक 15.07.2024 का का.आ. 2751 (अ) के तहत पुन: अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 में एमएसएमई सहित लेनदारों की देय राशियों के निपटान पर विचार नहीं किया गया है।

(ii) यदि कोई कंपनी धारा 405 उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के तहत किए गए आदेश का पालन करने में विफल रहती है, या किसी भी जानकारी या आंकड़े प्रस्तुत करती है जो किसी भी महत्वपूर्ण मामले में गलत या अपूर्ण है, तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूककर्ता है, बीस हजार रूपये के शास्ति

के लिए, और निरंतर विफलता के मामले में, पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, एक हजार रुपये के अतिरिक्त शास्ति के साथ, अधिकतम तीन लाख रुपये तक उत्तरदायी होगा।

(iii) एमसीए21 पोर्टल में फ़ाइल अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 की अवधि के लिए फ़ाइल अंतिम छमाही एमएसएमई-1 रिटर्न के आधार पर, कुल 46,562 कंपनियों ने लगभग 61,770 करोड़ रुपये के बकाया की सूचना दी है, जो 45 दिनों से कम समय से लंबित है और लगभग 22,730 करोड़ रुपये 45 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं।

(iv) एमएसएमई मंत्रालय ने 30.10.2017 को वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को बकाया देय राशि की निगरानी और शिकायतों को दर्ज करने के लिए समाधान पोर्टल (https://samadhaan.msme.gov.in/MyMsme/MSEFC/MSEFC_Welcome.aspx) नामक एक पोर्टल लॉन्च किया। समाधान पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 30.10.2017 को स्थापना से 17.07.2025 तक, लंबित आवेदनों में शामिल राशि 22,363.40 करोड़ रुपये हैं।

(v) एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के विलंबित भुगतानों के मामलों से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एमएसईएफसी) की स्थापना की गई है। अब तक, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एक से अधिक एमएसईएफसी के साथ देश में 161 एमएसईएफसी स्थापित किए गए हैं।

(vi) आत्मनिर्भर भारत घोषणाओं के बाद एमएसएमई को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा बकाया राशि और मासिक भुगतान की रिपोर्ट करने के लिए 14.06.2020 को समाधान पोर्टल के भीतर एक विशेष उप-पोर्टल बनाया गया है।

(vii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43ख (ज) में यह प्रावधान है कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा से परे एमएसएमई को निर्धारिती द्वारा संदेय कोई राशि, जो 45 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है, को केवल वास्तविक भुगतान पर कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी।

(viii) भारत सरकार ने सीपीएसई और 250 करोड़ रुपये या उससे अधिक के कारोबार वाली सभी कंपनियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे स्वयं को व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली, जो एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है जो कई फाइनेंसरों के माध्यम से एमएसएमई की व्यापार प्राप्तियों की छूट की सुविधा प्रदान करता है में शामिल करें।

*****